

**F.No. 15-96/1/NMA/HBL-2021**  
**Government of India**  
**Ministry of Culture**  
**National Monuments Authority**


**PUBLIC NOTICE**

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "**One Ancient Brick Temple Built on the same plan as Bhitargaon Temple, Karchulipur, District - Kanpur, Uttar Pradesh**" have been prepared by the Competent Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

- i. National Monuments Authority [www.nma.gov.in](http://www.nma.gov.in)
- ii. Archaeological Survey of India [www.asi.nic.in](http://www.asi.nic.in)
- iii. Archaeological Survey of India, Lucknow Circle [www.asilucknowcircle.nic.in](http://www.asilucknowcircle.nic.in)

2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID [ms-nma@nic.in](mailto:ms-nma@nic.in) and [hbl-section@nma.gov.in](mailto:hbl-section@nma.gov.in) latest 11<sup>th</sup> February, 2023. The person making objections or suggestion should also give their name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 11<sup>th</sup> February, 2023, in consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

  
(Col. Savyasachi Marwah)  
Director, NMA  
11.01.2023





भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CULTURE  
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY**



भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, करचुलीपुर,  
जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश के लिये धरोहर उपविधि-

**Heritage Bye-laws for One Ancient Brick Temple Built On The Same Plan  
As Bhitargaon Temple, Karchulipur, District – Kanpur, Uttar Pradesh**

विषयवस्तु		
अध्याय I		
प्रारंभिक		
1.0	संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ	06
1.1	परिभाषाएँ	06
अध्याय II		
प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि		
2.0	अधिनियम की पृष्ठभूमि	10
2.1	धरोहर उपविधियों- से संबंधित अधिनियम के उपबंध	10
2.2	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां (नियमों के अनुसार)	10
अध्याय III		
भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, करचुलीपुर, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश		
3.0	स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	12
3.1	स्मारक की संरक्षित चारदीवारी	13
	3.11 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र / योजना	13
3.2	स्मारक का इतिहास	13
3.3	स्मारक का विवरण (यवास्तुशिल्पी) विशेषताएं, तत्व, सामग्रियाँ आदि	13
3.4	वर्तमान स्थिति	13
	3.4.1 स्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	13
	3.4.2 प्रतिदिन आने वाले और कभीकभार- एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	13
अध्याय IV		
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.0	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण	14
4.1	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप नियम - 2008; संशोधित 2016 (खंड 1.1.1, 1.1.2 और 1.2.1), "उत्तर प्रदेश नगरपालिका योजना और विकास अधिनियम -1973	14
अध्याय V		
प्रथम अनुसूची, और टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.0	स्मारक की रूपरेखा	14
5.1	सर्वेक्षित आँकड़ों का विश्लेषण	14
	5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	14

	5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	15
	5.1.3 हरितखुले क्षेत्रों/ का विवरण	15
	5.1.4 परिसंचरण के अंतर्निहित आवृत्त क्षेत्रसड़क -, पैदल पथ आदि	16
	5.1.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	16
	5.1.6 राज्य संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन	17
	5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं	17
	5.1.8 स्मारक तक पहुँच	17
	5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं	17
	5.1.10 प्रस्तावित क्षेत्रीकरण (स्थानीय निकाय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र)	17
<b>अध्याय VI</b>		
स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य		
6.0	वास्तु, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	18
6.1	स्मारक की संवेदनशीलता	18
6.2	संरक्षित स्मारक अथवा क्षेत्र से दृश्य और विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य	18
6.3	भूमि उपयोग की पहचान	20
6.4	संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष	20
6.5	सांस्कृतिक भूदृश्य	20
6.6	महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य	20
6.7	खुले स्थान और भवनों का उपयोग	21
6.8	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	21
6.9	स्मारक और विनियमित क्षेत्रों में से दिखाई देने वाला क्षितिज	21
6.10	पारंपरिक वास्तुकला	21
6.11	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना	21
6.12	भवन संबंधी मापदंड	21
6.13	पर्यटक सुविधाएं और साधन	22
<b>अध्याय VII</b>		
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां		
71.	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	23
7.2	अन्य संस्तुतियाँ	23

<b>CONTENTS</b>		
<b>CHAPTER I PRELIMINARY</b>		
1.0	Notification and Short title, Extent and Commencement	24
1.1	Definitions	24
<b>CHAPTER II BACKGROUND OF THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMASR) ACT, 1958</b>		
2.0	Background of the Act	27
2.1	Provision of Act related to Heritage Bye-Laws	27
2.2	Rights and Responsibilities of Applicant(as laid down in Rules)	27
<b>CHAPTER III LOCATION AND SETTING OF CENTRALLY PROTECTED MONUMENTS OF “ONE ANCIENT BRICK TEMPLE BUILT ON THE SAME PLAN AS BHITARGAON TEMPLE, KARCHULIPUR, DISTRICT – KANPUR, UTTAR PRADESH”</b>		
3.0	Location and Setting of the Monument	28
3.1	Protected boundary of the Monument	29
	3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:	29
3.2	History of the Monument	29
3.3	Description of Monument (Architectural features, Elements, Materials etc.)	29
3.4	Current Status:	
	3.4.1 Condition of Monument – condition assessment	29
	3.4.2 Daily footfalls and Occasional gathering numbers	29
<b>CHAPTER IV EXISTING ZONING, IF ANY, IN THE LOCAL AREA DEVELOPMENT PLAN</b>		
4.0	Existing Zoning in the local area development plans	30
4.1	Development authority building construction and development sub method-2008 (UP Development plan-2008.)	30
<b>CHAPTER V INFORMATION AS PER FIRST SCHEDULE AND TOTAL STATION SURVEY</b>		
5.0	Contour Plan of the Monument	30
5.1	Analysis of surveyed data:	30
	5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details	30
	5.1.2 Description of built up area	31
	5.1.3 Description of green/open spaces	31
	5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc.	32
	5.1.5 Height of buildings (zone-wise)	32
	5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	32
	5.1.7 Public amenities	32
	5.1.8 Access to monuments	32
	5.1.9 Infrastructure services	32
	5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	32
<b>CHAPTER VI ARCHITECTURAL, HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL VALUE OF THE MONUMENT</b>		
6.0	Historical and archaeological value	33

6.1	Sensitivity of the monuments	33
6.2	Visibility from the protected monuments or area and visibility from Regulated Area	33
6.3	Land-use to be identified	34
6.4	Archaeological heritage remains other than protected monuments	34
6.5	Cultural landscapes	34
6.6	Significant natural landscapes	35
6.7	Usage of open space and constructions	35
6.8	Traditional, historical and cultural activates	35
6.9	Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas	35
6.10	Vernacular architecture	35
6.11	Developmental plan as available by the local authorities	35
6.12	Building related parameters	35
6.13	Visitor facilities and amenities	36
<b>CHAPTER VII</b>		
<b>SITE SPECIFIC RECOMMENDATIONS</b>		
7.1	Local governance and Heritage Management	37
7.2	Other Site Specific Recommendations	37

संलग्नक/ ANNEXURES		
संलग्नक- I	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र संरक्षित - सीमाओं की परिभाषा	-
Annexure- I	Notification Map as per ASI records – definition of Protected Boundaries	-
संलग्नक- II	संस्मारक की अधिसूचना	39
Annexure- II	Notification of the Monument	39
संलग्नक -III	स्थानीय निकाय दिशा निदेश	41
Annexure- III	Local Bodies Guidelines	48
संलग्नक -IV	भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, करचुलीपुर, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना	54
Annexure- IV	Survey Plan of One Ancient Brick Temple Built On The Same Plan As Bhitargaon Temple, Karchulipur, District – Kanpur, Uttar Pradesh	54
संलग्नक -V	स्मारक और इसके प्रतिवेश के छायाचित्र	55
Annexure- V	Images of the Monuments and the Area Surrounding the Monuments	55

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

---

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, करचुलीपुर, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा [hbl-section@nma.gov.in](mailto:hbl-section@nma.gov.in) पर ई-मेल किया जा सकता है।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्ति या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप-विधि  
अध्याय I  
प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

- (i) इन उप-विधियों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, करचुलीपुर, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।
- (iii) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.1 परिभाषाएं :-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफनगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकात्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय



या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

- (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
- (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
- (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
- (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिकया पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुनःनिर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लॉट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियां निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

- (ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (थ) "पुनःनिर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;
- (द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुनःनिर्माण नहीं होंगे।
- (2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

## अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि  
(ए.एम.ए.एस.आर.) अधिनियम, 1958

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बाँटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

- 2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, धारा 20ड और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

- 2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

- (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना

चाहता है, जैसा भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

### अध्याय III

केंद्रीय संरक्षित स्मारक - भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर,  
करचुलीपुर, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश

#### 3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:-

- यह जीपीएस निर्देशांक  $26^{\circ} 10' 56.14''$  उत्तरी अक्षांश एवं  $80^{\circ} 21' 25.63''$  पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
- रिंद नदी के बाएं किनारे पर स्थित, स्मारक उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के करचुलीपुर गांव में स्थित है। यह करचुलीपुर गांव के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित है।
- स्मारक से निकटतम रेलवे स्टेशन घाटमपुर रेलवे स्टेशन है, जो घाटमपुर गांव में 30.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है (सागर-कानपुर राजमार्ग के माध्यम से [राष्ट्रीय राजमार्ग-34] → राजकीय राजमार्ग 36 → राजकीय राजमार्ग 17 → औलेश्वर शिव मंदिर की ओर जाती सड़क)।
- निकटतम हवाई अड्डा कानपुर शहर में स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा है।



चित्र: केंद्रीय संरक्षित स्मारक भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर,  
करचुलीपुर, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश का गूगल मानचित्र

### 3.1 स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

स्मारक की संरक्षित सीमा अनुलग्नक-I में देखी जा सकती है।

#### 3.1.1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

स्मारक की अधिसूचना अनुलग्नक II में देखी जा सकती है

### 3.2 स्मारक का इतिहास:

भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर को स्थानीय रूप से औलेश्वर शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है।

### 3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएं, तत्व, सामग्री, आदि):

पूरी तरह से लखौरी ईंटों और पलस्तर मोल्डिंग से सजाए गए चूने के पलस्तर का उपयोग करके निर्मित, मंदिर एक अष्टकोणीय संरचना है जिसमें गर्भ-गृह के केंद्र में एक प्रस्तर का शिवलिंग है। वर्तमान में, मंदिर का मुख्य भाग एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जिसमें पूर्व की ओर से सीढ़ी द्वारा पहुंचा जा सकता है और मंदिर के अहाते में उत्तर मध्य कालीन एक सुरक्षा दीवार भी है। इस सुरक्षा दीवार के पूर्व में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार स्थित है, जिसमें मेहराबदार और आयताकार निचे से छिद्रित एक सादा अग्रभाग है। जबकि, मंदिर की ऊपरी संरचना में एक ऊंचा गुंबद है, जिस पर एक उल्टा कमल और एक कलश है। गर्भगृह के पास एक वर्गाकार मंडप है जिसके ऊपर एक मठ गुम्बद है। यह पूर्वाभिमुख मुख्य द्वार से पहुंचा जाता है, और दो अन्य द्वार भी उत्तर और दक्षिण की ओर स्थित होते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार वाले मंदिर के सामने के हिस्से को आयताकार और मेहराबदार ताख का उपयोग करके सजाया गया है, जिसमें कोष्ठक पर समर्थित छज्जे हैं।

इसके अलावा, सजावटी वर्ग प्रतिरूप का एक पट्ट, प्रक्षेपित छज्जा के ऊपर दो अष्टकोणीय बुर्ज के साथ सामने के दोनों कोनों पर स्थित है। इसके अलावा, प्राचीन ईंट मंदिर के अवशेषों में प्रस्तर शिवलिंग और द्वार शाखा शामिल हैं जिनका परवर्ती संरचनाओं में पुनः उपयोग किया गया था।

इसके अलावा स्मारक की संरक्षित सीमा के अंदर मुख्य मेहराबदार प्रवेश द्वार के पास अर्थात् मंदिर की उत्तर-पूर्व दिशा में एक प्राचीन कुआं भी विद्यमान है।

### 3.4 वर्तमान स्थिति

#### 3.4.1 स्मारक की स्थिति- स्थिति का मूल्यांकन:

स्मारक संरक्षण की अच्छी स्थिति में है। साथ ही मंदिर में संरक्षण कार्य भी किया गया है।

#### 3.4.2 प्रतिदिन एवं यदा-कदा आने वाले आगंतुकों की संख्या:

यह एक बिना टिकट वाला स्मारक है और आमतौर पर प्रति सप्ताह स्थानीय क्षेत्र से केवल 20-25 लोग स्मारक का भ्रमण/दर्शन करते हैं। इसके अलावा, हर साल नवरात्रि पर लगभग 15000-20000 लोग पूजा/अर्चना के लिए स्मारक पर आते हैं।

## अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

### 4.0 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

चूंकि, वर्तमान में किसी भी विद्यमान स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई भी विकास योजना तैयार नहीं की गई है और सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए आज तक कोई क्षेत्रीकरण विद्यमान नहीं है।

### 4.1 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशा निर्देश:

स्थानीय निकाय के विद्यमान दिशा-निर्देश अनुलग्नक-III में देखे जा सकते हैं।

## अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1) / टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

### 5.0 भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, करचुलीपुर, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश की रूपरेखा योजना

भितरगांव मंदिर, करचुलीपुर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर की रूपरेखा योजना को अनुलग्नक- I में देखा जा सकता है।

### 5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण :-

#### 5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण

- संरक्षित क्षेत्र (लगभग): 624.7 वर्गमीटर (0.15 एकड़)।
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र (लगभग): 42020.8 वर्गमीटर (10.3 एकड़)।
- विनियमित क्षेत्र (लगभग): 271141.1 वर्गमीटर (67.0 एकड़)।

#### मुख्य विशेषताएं:

सामान्य तौर पर, स्मारक का प्रतिवेश ज्यादातर सभी दिशाओं में अवस्थित विस्तृत कृषि भूमि का हिस्सा है। संरक्षित सीमा के बाहर लगभग 10293.5106 वर्ग मीटर भूमि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वामित्व में है और एक अन्य सीमा की दीवार से घिरा



हुआ है। इसके अलावा, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की पूर्व दिशा में टिन-शेड, सार्वजनिक शौचालय, कियोस्क, हैंडपंप, सड़क पुलिया, उच्च वोल्टता विद्युत के टॉवर और अन्य विविध अस्थायी संरचनाएं भी विद्यमान हैं। इसके अलावा, पेड़ों से ढकी अच्छी खुली बंजर भूमि और एक नदी और एक नाला भी प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों के हिस्से के रूप में विद्यमान हैं। दो संकरी कच्ची सड़कें और एक पक्की (सीमेंट कंक्रीट और बिटुमेन दोनों) सड़क आसपास के क्षेत्र में और शहर के अन्य स्थानों के साथ संपर्कता प्रदान करने के लिए अवस्थित है।

#### 5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण :

##### प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- उत्तर: भा.पु.स. के स्वामित्व वाले क्षेत्र को घेरने वाली एक चारदीवारी इस दिशा में है।
- दक्षिण: भा.पु.स. के स्वामित्व वाले क्षेत्र को घेरने वाली एक चारदीवारी इस दिशा में है।
- पूर्व: भा.पु.स. के स्वामित्व वाले क्षेत्र को घेरने वाली एक चारदीवारी, टिन-शेड कियोस्क, सार्वजनिक शौचालय, कुछ विविध संरचनाएं और दो हैंडपंप इस दिशा में हैं।
- पश्चिम: भा.पु.स. के स्वामित्व वाले क्षेत्र को घेरने वाली एक चारदीवारी इस दिशा में है।

##### विनियमित क्षेत्र

- उत्तर: इस दिशा में स्थित नाले के ऊपर निर्मित एक पुलिया है।
- पूर्व: भा.पु.स. के स्वामित्व वाले क्षेत्र को घेरने वाली एक चारदीवारी, एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक टावर, एक पुलिया इस दिशा में हैं।
- दक्षिण: इस दिशा में कोई संरचना नहीं है।
- पश्चिम: इस दिशा में एक उच्च वोल्टता शक्ति वाला विद्युत टावर विद्यमान है।

#### 5.1.3 हरित खुले क्षेत्रों का विवरण:

- उत्तर: इस दिशा में वनस्पति विकास के साथ कुछ खुले स्थान दिखाई देते हैं।
- दक्षिण: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि और आंशिक रूप से पेड़ों के स्वामित्व के साथ विस्तृत खुली खेती की भूमि इस दिशा में हैं।

- पूर्व: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि और आंशिक रूप से पेड़ों से युक्त और अन्य कृषि भूमि इस दिशा में हैं।
- पश्चिम: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि और आंशिक रूप से पेड़ों से युक्त और अन्य कृषि भूमि इस दिशा में हैं।

विनियमित क्षेत्र:

- उत्तर: इस दिशा में खुली बंजर भूमि जिसमें कुछ भाग वृक्षों से आच्छादित हैं और चौड़ी कृषि भूमि हैं।
- दक्षिण: खेती की खुली भूमि के कुछ हिस्से पर रिंद नदी प्रवाहित है और इसके तट इस दिशा में हैं।
- पूर्व: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि और खेती की खुली भूमि इस दिशा में हैं।
- पश्चिम: इस दिशा में चौड़ी खेती की खुली भूमि है।

#### 5.1.4 परिसंचरण के अंतर्निहित आवृत्त क्षेत्र - सड़कें, पैदलपथ आदि।

स्मारक की विनियमित सीमा में, एक पक्की सड़क उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशाओं से गुजरती है। वही सड़कें उत्तर दिशा में विस्तारित हैं और गोपालपुर गांव की ओर जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ यह पूर्व दिशा में फैली हुई है और करचुलीपुर गांव क्षेत्र से जुड़ती है। इसके अलावा दो छोटी कच्ची सड़कें भी मौजूदा कृषि भूमि के बीच संपर्क प्रदान करने वाले विनियमित क्षेत्रों के दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशाओं में हैं। कुल मिलाकर लगभग 4011.90 वर्गमीटर भूमि इन सड़कों से आच्छादित है।

यह, प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पूर्व दिशा में, भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि पर, स्मारक की संरक्षित सीमा की ओर जाने वाली सीढ़ियों के साथ एक पत्थर का पक्का मार्ग है। संरक्षित सीमा के अंदर चलते हुए, स्मारक और मुख्य प्रवेश द्वार को जोड़ने वाले पत्थर के पक्के रास्ते का एक समान भूखंड भी है।

#### 5.1.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्र-वार)

- उत्तर और उत्तर-पश्चिम: कोई भवन नहीं है।
- दक्षिण: कोई भवन नहीं है।
- पूर्व: कोई भवन नहीं है।
- पश्चिम: कोई भवन नहीं है।

- 5.1.6 प्रतिषिद्ध / विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों :
- भा.पु.स. स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित स्मारक या कोई अन्य स्थानीय निकाय संरक्षित स्मारक स्थित नहीं है।
- 5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं:
- स्मारक में संरक्षित सूचना पटल (पी.एन.बी.), सांस्कृतिक सूचना पटल (सी.एन.बी.), दो हैंड पंप एवं सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं।
- 5.1.8 स्मारक तक पहुंच:
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पूर्व दिशा में, एक पत्थर का पक्का मार्ग है जो सीढ़ियों के साथ स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाता है। दूसरी तरफ यह मार्ग विस्तारित है और भा.पु.स. के स्वामित्व वाली आसपास की जमीन को घेरते हुए चारदीवारी पर मौजूद एक अन्य गेट से जुड़ जाता है। इस बाहरी प्रवेश द्वार से सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़क पूर्व दिशा की ओर जाती है और गोपालपुर गांव और करचुलीपुर गांव क्षेत्र को जोड़ने वाली एक अन्य बिटुमेन सड़क से जुड़ जाती है।
- 5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, वर्षाजल निकास तंत्र, जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)
- स्मारक में एक कुआं और एक हैंडपंप उपलब्ध है।
- 5.1.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:
- किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा करचुलीपुर के लिए कोई विकास योजना तैयार और सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए वर्तमान में कोई क्षेत्रीकरण प्रस्तावित नहीं है। इसके अलावा, उपर्युक्त खंड "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप पद्धति - 2008; संशोधित 2016 (खंड 1.1.1, 1.1.2 और 1.2.1) "उत्तर प्रदेश नगरपालिका योजना और विकास अधिनियम -1973" के तहत परिभाषित।

## अध्याय VI

### स्मारक का वास्तु, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

#### 6.0. वास्तु, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुशिल्पीय रूप से, स्मारक एक पुरानी संरचना का एक उदाहरण है जो पूरी तरह से चूने के पलस्तर से सज्जित लखौरी ईंटों का उपयोग करके बनाया गया है जबकि ऐतिहासिक महत्व के रूप में वर्तमान में कोई प्रासंगिक जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता है उदात्त/कोष्ठक, मठ के गुंबद, मेहराबदार /आयताकार ताखे, अष्टकोणीय योजना, बुर्ज, द्वार शाखाएँ, कोष्ठक, छज्जे और सजावटी प्रतिरूप सहित विभिन्न डिजाइन और निर्माण चेतना प्राचीन शिल्पकारों द्वारा विशिष्ट प्रभावशाली कलाकृति को उजागर करती है, इस प्रकार स्मारक के लिए विशाल वास्तुशिल्प और पुरातात्विक महत्व को जोड़ती है।

इसके अलावा, चूंकि मंदिर में एक "प्रस्तर शिवलिंग" है, यह शुभ प्रतीत होता है और इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी है।

#### 6.1. स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ विकासात्मक दबाव, नगरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

वर्तमान में, स्मारक निर्माण और विकास गतिविधियों से बहुत कम प्रभावित हुआ है, क्योंकि यह करचुलीपुर गांव के बाहरी इलाके में स्थित है। स्मारक के आसपास की भूमि ज्यादातर खेती की खुली भूमि है जिसमें कुछ बंजर भूमि आंशिक रूप से पेड़ों से ढकी हुई है। कुल मिलाकर, वे मंदिर को एक विस्तृत प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। इसके अलावा, चूंकि, समय के साथ गांव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य में आसपास के नए निर्माण और बसावट गतिविधियों को संरक्षित स्मारक के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के संकेत के रूप में माना जा सकता है।

#### 6.2. संरक्षित स्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

##### ➤ स्मारक से प्रतिषिद्ध क्षेत्र में:

उत्तर और उत्तर-पूर्व: इस दिशा में खेती की खुली और आंशिक रूप से पेड़ों से आच्छादित बंजर भूमि देखी जा सकती है।

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि को घेरने वाली एक चारदीवारी और इस दिशा में विस्तृत कृषि भूमि दिखाई देती है।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि को घेरने वाली एक चारदीवारी, जिसमें प्रवेश द्वार को जोड़ने वाला पत्थर का पक्का मार्ग है, इस दिशा में

टिन-शेड कियोस्क और सार्वजनिक-शौचालय सहित कुछ विविध संरचनाएं और कुछ पेड़ दिखाई देते हैं।

पश्चिम और उत्तर-पश्चिम: इस दिशा में खेती वाली खुली भूमि और बंजर भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

➤ स्मारक से, विनियमित क्षेत्र में:

उत्तर और उत्तर-पूर्व: इस दिशा में खेती की खुली और आंशिक रूप से पेड़ों से आच्छादित बंजर भूमि देखी जा सकती है।

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम: खेती वाली खुली भूमि देखी जा सकती है।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व: खेती वाली खुली भूमि देखी जा सकती है।

पश्चिम और उत्तर-पश्चिम: इस दिशा में खेती की खुली भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

➤ प्रतिषिद्ध क्षेत्र से स्मारक की ओर:

उत्तर और उत्तर-पूर्व: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में भूमि को घेरने वाली सीमा की दीवार और मंदिर के गुंबद को खुली बंजर भूमि में पेड़ों की उपस्थिति के कारण आंशिक रूप से देखा जा सकता है।

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि को घेरने वाली और खेती की खुली भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व: भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र के तहत खुली भूमि को घेरने वाली चारदीवारी, प्रवेश द्वार को जोड़ने वाला एक पत्थर का पक्का मार्ग, टिन-शेड कियोस्क और सार्वजनिक-शौचालय सहित कुछ विविध संरचनाएं, मंदिर के सामने का प्रवेश द्वार और कुछ पेड़ इस दिशा में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

पश्चिम और उत्तर-पश्चिम: मंदिर के पीछे, इसकी संरक्षित सीमा और एएसआई के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि को घेरने वाली एक अन्य चारदीवारी इस दिशा से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

➤ विनियमित क्षेत्र से स्मारक की ओर:

उत्तर एवं उत्तर-पूर्व : वृक्षों से युक्त खुली बंजर भूमि, गोपालपुर एवं करचुलीपुर ग्राम क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क, कृषि भूमि स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि संरक्षित मंदिर एवं

भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि को घेरने वाली एक अन्य चारदीवारी भी आंशिक रूप से देखी जा सकती है।

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम: इस दिशा से खेती वाली खुली भूमि और पेड़ देखे जा सकते हैं।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व: खेती की खुली भूमि, टिन-शेड कियोस्क और सार्वजनिक-शौचालय सहित कुछ विविध संरचनाएं, एक उच्च वोल्टता शक्ति विद्युत का टॉवर, भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि को घेरने वाली एक चारदीवारी, गोपालपुर और करचुलीपुर गांव क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क और कुछ इस दिशा में पेड़ साफ दिखाई दे रहे हैं।

पश्चिम और उत्तर-पश्चिम: मंदिर के पीछे, इसकी संरक्षित सीमा और भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में खुली भूमि को घेरने वाली एक और चारदीवारी और खेती की खुली भूमि इस दिशा से देखी जा सकती है।

#### 6.3. भूमि उपयोग की पहचान :

प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों की सभी दिशाओं में, विद्यमान भूमि का उपयोग ज्यादातर कृषि और खेती के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अन्यथा, आवासीय या वाणिज्यिक जैसे अन्य विशिष्ट उपयोग वर्तमान में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पूर्व दिशा में, भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में भूमि पर सार्वजनिक शौचालय और टिन शेड कियोस्क सहित कुछ विविध संरचनाएं भी हैं।

#### 6.4. संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष :

इस भा.पु.स. स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित स्मारक या कोई अन्य स्थानीय निकाय संरक्षित स्मारक नहीं है।

#### 6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य :

खेती की गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली विस्तृत खुली कृषि भूमि हमारे स्मारक को एक सांस्कृतिक परिदृश्य प्रदान करती है।

#### 6.6. महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारकों को संरक्षित करने में भी सहायक है:

प्राकृतिक पृष्ठभूमि के रूप में मौजूद खुली खेती की भूमि, हमारे स्मारक को एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है। जबकि, प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों के उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशाओं में, आंशिक रूप से पेड़ों से आच्छादित बंजर भूमि स्थानीय बसावट को रोक देगी और इस प्रकार एक ही दिशा में पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक की रक्षा करेगी। इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं के बाहरी इलाके में, रिंद नदी की उपस्थिति भी स्थानीय बसावट को रोक सकती है।

6.7. खुले स्थान और भवनों का उपयोग:

आसपास स्थित खुले स्थान ज्यादातर खुली कृषि भूमि हैं, इसलिए कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में, खुली भूमि भी रिंद नदी और उसके तट का हिस्सा बनती है। इसके अलावा, प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, चारदीवारी से घिरी एक खुली भूमि और भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में, पेड़ों के साथ खुली भूमि स्थित है। जबकि, प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पूर्व दिशा में मौजूद निर्मित संरचनाएं ज्यादातर सार्वजनिक और विविध हैं जिनमें शौचालय और टिन-शेड कियोस्क शामिल हैं।

6.8. पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

हर साल नवरात्रि पर, लगभग 15000-20000 लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जाते हैं। साथ ही उसी दिन स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित सीमा के बाहर मौजूद खुली भूमि में एक छोटा मेला भी आयोजित किया जाता है, जो कि भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में भी है और एक अन्य भूमि चारदीवारी से घिरी हुई है।

6.9. स्मारक और विनियमित क्षेत्रों में से दिखाई देने वाला क्षितिज:

मंदिर का ऊपरी भाग, यानी लगभग 8.41 मीटर ऊंचा गुंबद, परिवेश की तुलना में क्षितिज पर हावी है। चूंकि, स्मारक के पास इस तरह की कोई उठाई हुई संरचना मौजूद नहीं है, इसलिए क्षितिज ज्यादातर स्पष्ट है, विनियमित क्षेत्र की पूर्व दिशा में विद्यमान एक उच्च वोल्टता शक्ति वाला विद्युत टॉवर देखा जा सकता है।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला:

स्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला नहीं देखी जा सकती है।

6.11. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकरणों के पास कोई विकास योजना उपलब्ध नहीं है।

6.12 भवन से संबंधी मापदंड :

(क) स्थल पर निर्मित भवन की ऊंचाई (छत के ऊपरी भाग की संरचना जैसे ममटी, मुंडेर आदि सहित) :-

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊंचाई 07 मीटर तक सीमित होगी।

(ख) तल क्षेत्र :- तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार होगा।

(ग) उपयोग :- स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार भूमि उपयोग में कोई बदलाव नहीं।

(घ) अग्रभाग का डिजाइन: -

- अग्रभाग का डिजाइन स्मारक के परिवेश से मेल खाना चाहिए।
- सामने की सड़क के किनारे या सीढ़ी के शाफ्ट के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) छत का डिजाइन: -

- क्षेत्र में केवल समतल छत के डिजाइन का पालन किया जाना है
- इमारत की छत पर अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करने वाली संरचनाओं की अनुमति नहीं होगी।
- स्क्रीन की दीवारों (ईट/सीमेंट शीट आदि) का उपयोग करके सभी सेवाओं जैसे कि बड़ी वातानुकूलन इकाइयों, पानी की टंकियों या छत पर रखे बड़े जनरेटर सेटों पर आवरण किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम अनुमेय ऊंचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

(च) भवन निर्माण सामग्री:-

- स्मारक के सभी सड़क अग्रभागों के साथ सामग्री और रंग में एकरूपता।
- आधुनिक सामग्री जैसे एल्यूमीनियम का आवरण, कांच की ईंटें, और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री को बाहरी परिष्करण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पारंपरिक सामग्री जैसे ईट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग: घर के बाहर का रंग, स्मारक के अनुरूप हल्के रंग का उपयोग ही किया जाना चाहिए।

6.13 आगंतुकों हेतु सुविधाएं एवं साधन

आगंतुक सुविधाएं एवं साधन जैसे रोशनी, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, शौचालय, व्याख्या केंद्र, कैफेटेरिया, पीने का पानी, स्मारिका दुकान, दृश्य-श्रव्य केंद्र, रैंप, वाई-फाई और ब्रेल स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए।



अध्याय VII  
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) :-

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा गली की साइड की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) अथवा आंतरिक प्रांगणों या छतों पर न्यूनतम खुली जगह की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना जरूरी है।

ख) निर्माण को आगे बढ़ाने हेतु अनुमति (प्रोजेक्शन)

- सड़क के 'बाधा रहित' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर रास्ते की दायीं तरफ में किसी सीढ़ी और पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलियों को मौजूदा भवन के किनारे की साइड से माप कर 'बाधा रहित' मार्ग के आयामों (लंबाई-चौड़ाई) से जोड़ा जाएगा।

ग) संकेतक

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिहनों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतक को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि वे धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न बने और पदयात्री के चलने की दिशा में लगे हों।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेता को खड़े होने की अनुमति न दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां:

- व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- दिव्यांगजन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार के लिए व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमा के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश को लिंक <https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf> में देखा जा सकता है।

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CULTURE  
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY**

---

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected **One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon Temple, Karchulipur, District – Kanpur, Uttar Pradesh**, prepared by the Competent Authority and in consultation with the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public,

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at [hbl-section@nma.gov.in](mailto:hbl-section@nma.gov.in) within thirty days of publication of the notification,

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

**Draft Heritage Bye-Laws  
CHAPTER I  
PRELIMINARY**

**1.0 Short title, extent and commencements: -**

- (i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye- laws 2020 of Centrally Protected Monument **One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple, Karchulipur, District – Kanpur, Uttar Pradesh**.
- (ii) They shall extend to the entire prohibited and Regulated Area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

**1.1 Definitions: -**

- (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -
  - (a) “ancient monument” means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not

- less than one hundred years, and includes-
- (i) The remains of an ancient monument,
  - (ii) The site of an ancient monument,
  - (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
  - (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,
- (b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
- (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
  - (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area,
- (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958),
- (d) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,
- (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 of the Act,
- (f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:  
 Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,
- (g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,
- (h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot,  

$$\text{FAR} = \frac{\text{Total covered area of all floors}}{\text{plot area}}$$
- (i) "Government" means The Government of India,

- (j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto,
- (k) "owner" includes-
  - (i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and
  - (ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,
- (l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.
- (m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A,
- (n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,
- (o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,
- (p) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,
- (q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,
- (r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

## CHAPTER II

### Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

**2.0 Background of the Act:-**The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred m in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred m in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and, permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

**2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:** The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

**2.2 Rights and Responsibilities of Applicant:** The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

- (a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16<sup>th</sup> June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.
- (b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case maybe, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
- (c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

## CHAPTER III

**Location and Setting of Centrally Protected Monument – One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple, Karchulipur, District – Kanpur, Uttar Pradesh**

### 3.0 Location and Setting of the Monument:-

- It is situated at GPS Coordinates: **Lat:** 26° 10' 56.14" N, **Long** 80° 21' 25.63" E.
- Residing on the left bank of Rind River, the monument is located in the Karchulipur village of Kanpur district, Uttar Pradesh. It is present in the western outskirts of Karchulipur village.
- The nearest railway station from the monument is Ghatampur Railway Station, located in Ghatampur village at a distance of 30.8Kms (via Sagar – Kanpur Highway [NH-34] → State Highway 36 → State Highway 17 → road towards Aauleshwar Shiva Temple).
- The nearest airport is Ganesh Shanker Vidhyarthi Airport situated at Kanpur city.



Fig: Google Map of the Centrally Protected Monument One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple, Karchulipur District – Kanpur, Uttar Pradesh

### **3.1 Protected boundary of the Monument:**

The protected boundary of the monument may be seen at Annexure-I.

#### **3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:**

The notification of the monument can be seen in Annexure II

### **3.2 History of the Monument:**

The monument- One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple islocally known as Aauleshwar Shiva Temple.

### **3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):**

Built entirely using Lakhauri bricks and lime plaster decorated with plaster mouldings, temple is an octagonal structure housing a Stone Linga in the centre of Garbha-griha. At present, the main body of temple stands on a raised platform having access stairs on the east side and a boundary wall is also present enclosing the temple in a period of late medieval period. On east side of this boundary wall an arched gateway exists, having a plain façade pierced with arched and rectangular niches. Whereas, the upper structure of temple consists of a lofty dome crowned by an inverted lotus and a finial. The Garbha-griha is approached by a square Mandapa surmounted by a Cloister dome at top. This Mandapa is approached by a main doorway present on the east face, and two other doorways are also present on the north and south faces. The front face of temple having main entrance door is decorated using rectangular and arched shape niches with chajjas supported over brackets. Further, a band of decorative square patterns runs above the projected chajja with two octagonal turrets present at two corners of front façade. Moreover, the remains of ancientmedieval brick temple comprise the Stone Linga and door - jambs which were reused in later structure.

Apart from this, inside the protected boundary of the monument, an old well also exists nearthe main arched gateway, i.e. in the north-east direction of the temple.

### **3.4 CURRENT STATUS**

#### **3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:**

The monument is in a good state of preservation. Further, conservation work also has been carried out in the temple.

#### **3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:**

It's a non-ticketed monument and usually 20-25 people per week, from the local area only visit the monument. Apart from this, every year on Navratri around 15000-2000 people visit the monument for worshipping the deity.

## CHAPTER IV

### Existing zoning, if any, in the local area development plans

#### 4.0 Existing zoning:

Since, no development plan is presently prepared and made available in public domain by any of the current local authorities therefore, as such no zoning exists till date.

#### 4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

The existing guidelines of the local body may be seen at Annexure III.

## CHAPTER V

### Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

#### 5.0 Contour Plan of One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple, Karchulipur, District – Kanpur, Uttar Pradesh

One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple, Karchulipur may be seen at Annexure- I.

#### 5.1 Analysis of surveyed data:

##### 5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Protected Area (approx.) :624.7 Sqm (0.15 Acres).
- Prohibited Area (approx.):42020.8 Sqm (10.3 Acres).
- Regulated Area (approx.):271141.1 Sqm (67.0 Acres).

##### Salient Features:

In general, the surroundings of monument mostly forms part of wide cultivation land present in all directions. Outside the protected boundary about 10293.5106 sqm of land is possessed by ASI and enclosed by another boundary wall. Further, in the prohibited area there are some structures including tin-shed, public toilets, kiosks, hand pumps, road culverts, high tension electric tower and other miscellaneous temporary structures are also present in the east direction of the prohibited and regulated areas. Further, good open barren land covered with trees and a river and a Nala are also present forming parts of both the prohibited and regulated areas. Two narrow earthen roads and a metalled (both cement concrete and bitumen) road are present in the surroundings providing connectivity in the circumventing area and with other parts of the town.



## 5.1.2 Description of built up area

### Prohibited Area

- 3.1.1.1 **North:** A boundary wall enclosing the area under possession of ASI is present in this direction.
- 3.1.1.2 **South:** A boundary wall enclosing the area under possession of ASI is present in this direction.
- 3.1.1.3 **East:** A boundary wall enclosing the area under possession of ASI, tin-shade kiosk, public toilets, some miscellaneous structures and two hand pumps are present in this direction.
- 3.1.1.4 **West:** A boundary wall enclosing the area under possession of ASI is present in this direction.

### Regulated Area

- 3.1.1.5 **North:** A culvert constructed over an existing Nala is present in this direction.
- 3.1.1.6 **East:** A boundary wall enclosing the area under possession of ASI, a high tension electric tower, a culvert are present in this direction.
- 3.1.1.7 **South:** No structures are present in this direction.
- 3.1.1.8 **West:** A high tension electric tower is present in this direction.

## 5.1.3 Description of green/open spaces

### Prohibited Area

- 3.1.1.9 **North:** Few open spaces with vegetation growth are seen in this direction.
- 3.1.1.10 **South:** Open land under the jurisdiction of ASI and partially occupied by trees along with wide open cultivation land are present in this direction.
- 3.1.1.11 **East:** Open land under the jurisdiction of ASI and partially occupied by trees and other cultivation land are present in this direction.
- 3.1.1.12 **West:** Open land under the jurisdiction of ASI and partially occupied by trees and other cultivation land are present in this direction.

### Regulated area:

- 3.1.1.13 **North:** Open barren land with some parts covered with trees and wide cultivation land are present in this direction.
- 3.1.1.14 **South:** Open cultivation land with some parts also occupied by River Rind and its bank are present in this direction.
- 3.1.1.15 **East:** Open land under the jurisdiction of ASI and open cultivation land are present in this direction.
- 3.1.1.16 **West:** Wide open cultivation land is present in this direction.

#### **5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.**

In the regulated limit of monument, a metalled road pass from the north, east and north-east directions. The same roads extends in the north direction and lead towards Gopalpur village, whereas on the other end it extends in the east direction and get connected to the Karchulipur village area. Further two small earthen roads are also present in the south- east and north-west direction soft here gulated areas providing connectivity between existing cultivation land. In all about 4011.90 sqm of land is covered by these roads. Apart from

#### **5.1.5 Heights of buildings**

- North and North-west: No building present.
- South: No building present.
- East: No building present.
- West: No building present.

#### **5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:**

There are no state protected monuments or any other local body protected monuments present in the prohibited and regulated area of this ASI monument.

#### **5.1.7 Public amenities:**

Protection Notice Board (PNB), Cultural Notice Board (CNB), two hand pumps and public toilets are available at the monument.

#### **5.1.8 Access to monument:**

In the east direction of the prohibited area, a stone paved pathway is present with steps which lead towards the main gateway of the monument. On the other side this path way extends and get connected to another gate present at the boundary wall enclosing the surrounding land which is possessed by ASI. From, this outer entrance gate, a cement concrete metalled road leads in the east direction and get connected to another bitumen road connecting Gopalpur village and Karchulipur village area.

#### **5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):**

A well and a hand pump are available at the monument.

#### **5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:**

No development plan for Karchulipur is prepared and made available in public domain by any of the current local authorities therefore, at present no zoning is proposed. Apart, the above mentioned clauses are inherited from the "Development Authority Building Construction and Development sub method – 2008; Revised 2016 (clause 1.1.1, 1.1.2 and 1.2.1) defined under the "Uttar Pradesh municipal planning and development act -1973".

## CHAPTER VI

### Architectural, historical and archaeological value of the monument.

#### 6.0 Architectural, historical and archaeological value:

On behalf of historical value, as such no relevant information can be traced and stated at present, whereas architecturally, the monument stands as an example of an old structure which is completely built using Lakhauri bricks fitted with lime plaster. The various design and construction rationalities including lofty/brackets, cloister domes, arched/rectangular niches, octagonal plan, turrets, door jambs, brackets, chajjas and decorative patterns highlights the typical impressive artwork done by the craftsmen of ancient era, thus adding immense architectural and archaeological value to the monument.

Apart from this, since the temple houses a "Stone Linga", it appears to be auspicious and therefore also holds importance on religious scale.

#### 6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

As present, the monument seems to be very less affected by construction and development activities, since, it locates in the outskirts of Karchulipur village. The surrounding land of the monument is mostly open cultivation land with some patches of barren land partially covered with trees. Altogether, they provide a wide natural backdrop to the temple. Further since, the village area is developing with time therefore, in future the surrounding may be occupied by new construction and settlement activities can be considered as a sign of growing sensitivity towards the protected monument.

#### 6.2 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

##### > From the Monument, in the Prohibited Area:

**North & North-east:** Open cultivation land and barren land partially covered with trees can be seen in this direction.

**South & South-west:** A boundary wall enclosing open land under the jurisdiction of ASI and wide cultivation land are visible in this direction.

**East & South-east:** A boundary wall enclosing open land under the jurisdiction of ASI, having a stone paved pathway connecting the entrance, some miscellaneous structures including tin-shade kiosks and public-toilets and some trees are visible in this direction.

**West & North-west:** Open cultivation land and barren land are clearly visible in this direction.

##### > From the Monument, in the Regulated Area:

**North & North-east:** Open cultivation land and barren land partially covered with trees can be seen in this direction.

**South & South-west:** Open cultivation land can be seen.

**East & South-east:** Open cultivation land can be seen.

**West & North-west:** Open cultivation land is clearly visible in this direction.

➤ **From Prohibited Area towards monument:**

**North & North-east:** Boundary wall enclosing the land under the jurisdiction of ASI and the dome of temple can be partially seen due to presence of open barren land having trees.

**South & South-west:** Boundary wall enclosing the land under the jurisdiction of ASI and open cultivation land are clearly visible.

**East & South-east:** Boundary wall enclosing open land under the jurisdiction of ASI, having a stone paved pathway connecting the entrance, some miscellaneous structures including tin-shade kiosks and public-toilets, the front gateway of temple and some trees are clearly visible in this direction.

**West & North-west:** Backside of the temple, its protected boundary and another boundary wall enclosing the open land under the jurisdiction of ASI are clearly visible from this direction.

➤ **From Regulated Area towards monument:**

**North & North-east:** Open barren land with trees, road connecting Gopalpur and Karchulipur village area, cultivation land are clearly visible, while the protected temple and another boundary wall enclosing open land under the jurisdiction of ASI can also be seen partially.

**South & South-west:** Open cultivation land and trees can be seen from this direction.

**East & South-east:** Open cultivation land, some miscellaneous structures including tin-shade kiosks and public-toilets, a high tension electric tower, a boundary wall enclosing open land under the jurisdiction of ASI, road connecting Gopalpur and Karchulipur village area and some trees are clearly visible in this direction.

**West & North-west:** Backside of the temple, its protected boundary and another boundary wall enclosing the open land under the jurisdiction of ASI and open cultivation land can be seen from this direction.

**6.3 Land-use to be identified:**

In all directions of both the prohibited and regulated areas, the existing land is mostly used for agricultural and cultivation purposes. Else, as such no other typical usage such as residential or commercial can be seen at present. Further, in the east direction of prohibited area, some miscellaneous structures including public toilets and tin shade kiosks are also present on the land under the jurisdiction of ASI.

**6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:**

There are no state protected monuments or any other local body protected monument present in the prohibited and regulated area of this ASI monument.

**6.5 Cultural landscapes:**

The wide open agricultural land utilized for cultivation activities provide a cultural landscape to our monument.

**6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:**

Open cultivation land present as a natural backdrop, provide a natural environment to our monument. Whereas, in the north and north-east directions of both the prohibited and regulated areas, barren land partially covered with trees will prevents local settlement thus protecting monument from environmental pollution in same direction. Further, in the outskirts of south and south-west directions of the regulated area, presence of River Rind may also prevent local settlement.

**6.7 Usage of open space and constructions:**

The open spaces present in the surroundings are mostly open agricultural land, therefore are used for agricultural and farming activities. Additionally, in the south and south-west directions of regulated area, open land present also forms part of river Rind and its bank. Further, in the prohibited area, an open land enclosed by a boundary wall and under the jurisdiction of ASI, is present open with trees. Whereas, the constructed structures present in the east direction of the prohibited area is mostly public and miscellaneous including toilets and tin-shade kiosks.

**6.8 Traditional, historical and cultural activities:**

On Navratri every year, about 15000-20000 people visit the temple to worship the deity. Else, on the same day, a small Mela is also organized by the local people in the open land present outside the protected limit, which is also under the jurisdiction of ASI and enclosed by another boundary wall.

**6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:**

The upper part of the temple, i.e. the lofty dome rising to about 8.41m of height, dominates the skyline when compared with surroundings. Since, as such no raised structure are present near the monument, the skyline is mostly clear, except a high tension electric tower existing in the east direction of the regulated area, can be seen.

**6.10 Traditional Architecture:**

No traditional architecture can be seen around the monument.

**6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:**

No development plan is available with the local authorities.

**6.12 Building related parameters:**

**(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mummy, parapet, etc):**

The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 07 mtr.

**(b) Floor area: FAR will be as per local building bye-laws.**

**(c) Usage:-As per local building bye-laws with no change in land-use.**

**(d) Façade design:-**

- The façade design should match the ambience of the monument.

- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

**(e) Roof design:-**

- Only flat roof design in the area is to be followed.
- Structures, even using using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.
- All services such as large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc). All of these services must be included in the maximum permissible height.

**(f) Building material: -**

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.

**(g) Color:-** The exterior color must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

**6.13 Visitor facilities and amenities:**

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound show, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

## CHAPTER VII

### Site Specific Recommendations

#### 7.1 Site Specific Recommendations.

##### a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

##### b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

##### c) Signages

- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted; but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

#### 7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.

this, in the east direction of prohibited area, on the open land under the jurisdiction of ASI, a stone paved pathway is present along with steps leading to the protected boundary of monument. Moving inside the protected boundary, a similar patch of stone paved pathway also exists in front connecting the monument and main gateway.

अनुलग्नक  
ANNEXURES

अनुलग्नक-1  
ANNEXURE - I



Notification of Temple of One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple, Kanchilipur (Karchulipur), District-Kanpur, Uttar Pradesh.

भितरगांव मंदिर, कांचीपुर (करचुलीपुर), जिला-कानपुर, उत्तर प्रदेश के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर के मंदिर की अधिसूचना।

Original Notification

मूल अधिसूचना

<u>Erratum</u>		Department Roads Branch	
Please read 159(a) for 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.		Lahabad, the 27th December, 1920.	
The powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient-Monuments Preservation Act, (VII of 1904). His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1463M/1920, dated 25.12.1920, published at pages 1911-1924 of part I of the United Provinces Gazette, dated the 27th November, 1920, relating to the undermentioned monuments.			
Sl. No.	Name and description of monument	District.	Locality.
74.	Remains of a Buddhist or Jain temple evidently of very ancient date, the foundations of which may still be traced. They lie on the road to Bidhuna, a little to the S.-E. of the village	Etawah	Airwa, village in tahsil Bidhuna, 27 miles N.-W. of Etawah.
75.	Remains of an old fort, built by Chandrapal; has yielded many medieval Jain images, now deposited in the Lucknow museum.	Do.	Asai Khara, small village in tahsil Etawah, 7 miles W. of headquarters, on the right bank of the Jumna.
76.	A mound of ruins covered with large bricks and broken figures, at a distance of 330' nearly due South from the Bhitargaon temple. People call them Jhijhi naga.	Cawnpore.	Bhitargaon or baharibhitar; village in tahsil Narwal, 20 miles S. of Cawnpore.
77.	Ancient brick temple covered with whitewashed and carved bricks, moulding, etc.	Do.	Beda-bedauna.
78.	Two ancient brick temples, decorated with panels which are filled with terra cotta images.	Do.	Khurda.
79.	One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple	Do.	Kanchilipur.
80.	Two brick temples built on the same plan, and in the same style of ornament and architecture as those at Rar.	Do.	Sirhar-amauli.

Public Works Department

Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 27<sup>th</sup> December, 1920.

No. 1669/1133-M. – In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant Governor is hereby

Sl. No.	Name and description of Monument	D	Lo
	Remains of a Buddhist or Jain temple evidently of very ancient date, the foundations of which may still be traced. They lie on the road to Bidhuna, a little to the S-E. of the village.	t	Airwa, in Bidhuna, 27 miles N-E of Etawah.
	Remains of an old fort, built by Chandrapal; has yielded many medieval Jian images, now deposited in the Lucknow Museum.	t	AsaiKehra, small village in tehsil Etawah, 7 miles W. of headquarters, on the right bank of the Jumna.
	A mound of ruins covered with large bricks and broken figures, at a distance of 360' nearly due south from the Bhitargaon temple. People call them Khijhinaga.		Bhitargaon or baharibhitari village in tehsil Narwal, 20 Beda-
79.	One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple.		K
80.	Two brick temples built on the same plan, and in the same style of ornament		Kanchi
			Sirhar-

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

राज्य सरकार के सिद्धांत और दिशा-निर्देश जो विभिन्न प्रकार के विकास और निर्माण कार्यों के लिए लागू होंगे, "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप नियम - 2008; संशोधित 2016 (खंड 1.1.1, 1.1.2 और 1.2.1), जिसे "उत्तर प्रदेश नगरपालिका योजना और विकास अधिनियम -1973" के तहत परिभाषित किया गया है।

1. नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेट बैक) के लिए अनुमत भूमि आवृत्त (ग्राउंड कवरेज), तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)/ तल स्थान अनुपात (एफ.एस.आई.) और विनियमित क्षेत्र के साथ ऊंचाई।

निर्माण के लिए प्रावधान "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप नियम - 2008; संशोधित 2016 (खंड 1.1.1, 1.1.2 और 1.2.1) "उत्तर प्रदेश नगरपालिका योजना और विकास अधिनियम" के तहत परिभाषित-1973", इस प्रकार हैं:

- आवासीय भवनों (उप-खंड - 3.4.1) के लिए अधिकतम अनुमत ऊंचाई 12.5 मीटर (स्टिल्ट फ्लोर के साथ) और 10.5 मीटर (बिना स्टिल्ट फ्लोर) के लिए सेटबैक:

तालिका 1

विनिर्देश	भूखंड क्षेत्र (वर्ग मीटर)	अग्रभाग हाशिया	पृष्ठभाग हाशिया	पार्श्व 1 हाशिया	पार्श्व 2 हाशिया
पंक्ति आवास	50 तक	1.0	-	-	-
	50 से 100	1.5	1.5	-	-
	100 से 150	2.0	2.0	-	-
	150 से 300	3.0	3.0	-	-
अर्द्ध पृथक	300 से 500	4.5	4.5	3.0	-
पृथक	500 से 1000	6.0	6.0	3.0	1.5
	1000 से 1500	9.0	6.0	4.5	3.0
	1500 से 2000	9.0	6.0	6.0	6.0

- वाणिज्यिक/आधिकारिक भवनों (उप-खंड - 3.4.2 (I)) के लिए सेटबैक, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर तक है:

तालिका 2

भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	सेटबैक (मीटर में)			
	अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व 1	पार्श्व 2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201 से 500	4.5	3.0	3.0	3.0
501 से अधिक	6.0	3.0	3.0	3.0

- शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं के लिए सेटबैक (उप-खंड - 3.4.2 (II)), जिसकी ऊंचाई 12.5 मीटर तक है:

तालिका 3

भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	सेटबैक (मीटर में)			
	अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व 1	पार्श्व 2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201 से 500	6.0	3.0	3.0	-
501 से 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 से 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 से 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

- शैक्षिक संस्थानों के लिए सेटबैक (उप-खंड - 3.4.3), अधिकतम अनुमत ऊंचाई 10.5 मीटर के साथ:

तालिका 4

भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	सेटबैक (मीटर में)			
	अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व 1	पार्श्व 2
500 तक	6.0	3.0	3.0	-
500 से 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 से 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 से 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

- 12.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए सेट बैक (उप-खंड - 3.4.5):

तालिका 5

भवन की ऊंचाई (मीटर)	सेट बैक (मीटर)
12.5 से 15	5.0
15 से 18	6.0
18 से 21	7.0
21 से 24	8.0
24 से 27	9.0
27 से 30	10.0
30 से 35	11.0
35 से 40	12.0
40 से 45	13.0
45 से 50	14.0
50 से 55	15.0
55 से अधिक	16.0

- विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए भूमि आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) और तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)/ तल स्थान अनुपात (एफ.एस.आई.) (उपखंड 3.5.1):

तालिका 6

क्र.सं.	भूमि उपयोग	भूमि आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) %	तल क्षेत्र अनुपात
<b>1.</b>	<b>भूखंड आवासीय</b>		
<b>A</b>	<b>निर्मित/विकसित क्षेत्र</b>		
	• 100 वर्गमीटर तक	75	2.00
	• 101-300 वर्गमीटर	65	1.75
	• 301-500 वर्गमीटर	55	1.50
	• 501-2000 वर्गमीटर	45	1.25
<b>B</b>	<b>नया/अविकसित क्षेत्र</b>		
	• 100 वर्गमीटर तक	75	2.00
	• 101-300 वर्गमीटर	65	1.75
	• 301-500 वर्गमीटर	55	1.50
	• 501-2000 वर्गमीटर	45	1.25
<b>2.</b>	<b>व्यावसायिक</b>		
<b>A</b>	<b>निर्मित/विकसित क्षेत्र:</b>		
	• सिटी सेंटर/ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	45	2.00
	• सब-सिटी सेंटर/सब-सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	50	1.75
	• अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र	60	1.50
<b>B</b>	<b>नया/अविकसित क्षेत्र</b>		
	• सिटी सेंटर/ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	40	3.00
	• सब-सिटी सेंटर/सब-सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	45	2.50
	• अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र	50	1.75
<b>3.</b>	<b>अधिकारी</b>		
	• निर्मित क्षेत्र	50	1.50
	• विकसित क्षेत्र	45	2.00
	• नया/अविकसित क्षेत्र	40	2.50
<b>4.</b>	<b>शिक्षात्मक</b>		
<b>A</b>	<b>निर्मित/विकासशील क्षेत्र</b>		
	• प्राथमिक या नर्सरी स्कूल	35	1.00
	• हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / उच्च संस्थान	30	1.00
<b>B</b>	<b>नया / अविकसित क्षेत्र</b>		
	• नर्सरी स्कूल/प्राथमिक स्कूल	40	1.20
	• हाई स्कूल / इंटरमीडिएट	35	1.20
	• डिग्री कॉलेज	35	1.50
	• तकनीकी / प्रबंधन संस्थान	35	2.00
<b>5.</b>	<b>सामुदायिक और संस्थागत सुविधाएं</b>		
<b>A</b>	<b>निर्मित/विकसित क्षेत्र</b>	40	1.50
<b>B</b>	<b>नया/अविकसित क्षेत्र</b>		

	• कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल और धार्मिक भवन	40	1.50
	• अन्य संस्थान	30	2.00
6.	होटल		
	• निर्मित / विकसित क्षेत्र	40	2.00
	• नया / अविकसित क्षेत्र	40	2.50
7.	अस्पताल		
A	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	• क्लिनिक / औषधालय	35	1.50
	• 50 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम	35	1.50
	• 50 से अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	35	1.50
B	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• क्लिनिक / औषधालय	40	1.50
	• 50 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम	35	1.50
	• 50-100 बिस्तरों वाले अस्पताल	30	2.00
	• 100 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल	30	2.50
8.	खुला क्षेत्र		
	• निर्मित / विकसित क्षेत्र	2.5	0.025
	• नया / अविकसित क्षेत्र	2.5	0.025

- निम्नतल (बेसमेंट) निर्माण के लिए विनिर्देश (उप-खंड - 3.9.1, 3.9.2 और 3.9.3):
- बेसमेंट का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। और बेसमेंट में किसी भी शौचालय और रसोई का निर्माण करने की अनुमति नहीं है।
  - भीतरी आंगन और शाफ्ट के नीचे निम्नतल की अनुमति है।
  - बेसमेंट का निर्माण संरचना के मूल्यांकन के बाद ही किया जाएगा। पड़ोस की संपत्ति उस संपत्ति से 2 मीटर दूर होनी चाहिए जहां बेसमेंट का निर्माण किया जाना है।
  - फर्श और बीम के तल के बीच की ऊंचाई 2.1 मी - 4.5 मी होनी चाहिए।
- विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए बेसमेंट का निर्माण तदनुसार होना चाहिए:

तालिका 7

क्रमांक	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि का प्रकार-उपयोग	निम्नतल के लिए प्रावधान
1.	1000 तक	आवासीय/अन्य गैर-व्यावसायिक	अनुमति नहीं है
		आधिकारिक और वाणिज्यिक	जमीनी कवरेज का 50 प्रतिशत
2.	100 प्रति 500	आवासीय	भूमि आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) के समान
		गैर आवासीय	भूमि आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) के समान
3.	500 प्रति 1000	आवासीय	भवन की आवरण रेखा तक एक निम्नतल

		गैर आवासीय	बिल्डिंग की आवरण रेखा तक दो निम्नतल
3.	1000 . से ऊपर	आवासीय / समूह आवास, वाणिज्यिक, आधिकारिक, सामुदायिक सुविधाएं और अन्य बहुमंजिला इमारतें	1000-2000 वर्गमीटर के लिए दो निम्नतल की अनुमति है। भूमि का क्षेत्रफल
2000-10000 वर्गमीटर में चार निम्नतल की अनुमति है। भूमि का क्षेत्रफल।			
10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि के लिए निम्नतल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।			
4.		औद्योगिक	भवन के दो निम्नतल आवरण रेखा

➤ पार्किंग सुविधा के लिए विनिर्देश (उप-नियम - 3.10.1 और 3.10.3):

क) आम कार पार्किंग के लिए आवश्यक परिसंचरण क्षेत्र:

तालिका 8

पार्किंग क्षेत्र का प्रकार	परिसंचरण क्षेत्र (वर्गमीटर)
खुले क्षेत्र में पार्किंग	23
छादित पार्किंग	28
बेसमेंट में पार्किंग	32
यंत्रिकृत पार्किंग	16
साइकिल सहित दुपहिया वाहन	2

ख) आवासीय क्षेत्र के लिए पार्किंग व्यवस्था के मानक निम्नानुसार हैं:

तालिका 9

उपयोग के प्रकार	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)	प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए कार पार्किंग
भूखंड आवासीय	101 प्रति 200	1.00
	200 प्रति 300	2.00
	300 से ऊपर	1.00
समूह आवास	से कम 50	2.00 वर्गमीटर क्षेत्र प्रति प्लॉट
	50 प्रति 100	1.0 / भूखंड
	100 प्रति 150	1.25 / भूखंड
	150 से ऊपर	1.50 / भूखंड

2. विरासत उपनियम/विनियम/दिशानिर्देश यदि स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध हों।

"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप नियम - 2008" में; संशोधित 2016, उप खंड - 3.1.9 (I) एवं (II), भा.पु.स. द्वारा संरक्षित घोषित स्मारकों और विरासत स्थलों के लिए प्रासंगिक भा.पु.स. के अधिनियम के बारे में एक निरूपण है। यह विस्तृत है कि, पुरातात्विक स्मारक/स्थलों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) की परिधि में

किसी भी निर्माण और विकास की अनुमति नहीं है। और, उससे आगे, 300 मीटर (विनियमित क्षेत्र) तक, निर्माण के लिए अनुमोदन प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वतीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम-1958 (संशोधन एवं विधिमान्यकरण-2010) के नियमों के अनुसार रा.सं.प्रा. से प्राप्त किया जाएगा।

### 3. खुला स्थान :

निर्माण के दौरान खुले स्थान की व्यवस्था के लिए मानक विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप नियम - 2008 में संक्षिप्त किया गया है; संशोधित 2016", उप खंड - 2.2.1 और 2.2.3, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- आवासीय भू-उपयोग: विन्यास योजना का 15 प्रतिशत बच्चों का क्रीडांगन, पार्क और खेल के मैदान के रूप में खुली जगह के रूप में छोड़ दिया गया है।
- गैर आवासीय भूमि उपयोग: विन्यास योजना का 10 प्रतिशत बच्चों का क्रीडांगन (टोटलॉट, पार्क) और खेल के मैदान के रूप में खुली जगह के रूप में छोड़ दिया गया है।

#### • भूमि परिदृश्य योजना:

क) जब सड़क की चौड़ाई 9 मीटर या 12 मीटर से कम हो तो सड़क के किनारे एक तरफ 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जाएंगे।

ख) सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे।

ग) डिवाइडर, फुटपाथ आदि के बाद छोड़े गए सड़क के क्षेत्र का उपयोग पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा।

व्यवसायिक नियोजन में 20 प्रतिशत खुली जगह हरियाली के लिए आरक्षित की जाएगी और 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाए जाएंगे।

- संस्थागत क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं, खेल के मैदान जैसे क्षेत्रों में 20 प्रतिशत खुला क्षेत्र हरियाली के लिए आरक्षित है जहां प्रति हेक्टेयर 25 पेड़ लगाए जाते हैं।

### 4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ गतिशीलता - सड़क की सतह, पैदल चलने के रास्ते, गैर-मोटर चलित परिवहन आदि।

विशेष रूप से स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में गतिशीलता के लिए, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम और दिशानिर्देशों के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि, करचुलीपुर गांव के अंदर, यातायात मुख्य रूप से व्यक्तिगत साधन द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं - "दोपहिया, साइकिल, टैपो, कार, जीप, टैक्सी, वैन, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, ट्रक, मेटा दरवाजा, ट्रैक्टर और ट्रॉली, तांगा,



ठेला आदि"। जबकि, स्मारक के पास मौजूद सड़क पर, ज्यादातर धीमी गति से चलने वाले मोटर चलित और गैर-मोटर चलित वाहन देखे जा सकते हैं।

इसके अलावा, विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप-विधि- 2008 के तहत निर्दिष्ट अन्य सड़क / सड़क विकास पैरामीटर; संशोधित 2016", उप खंड – 2.3.1 और 2.3.2:

तालिका 10

क्रमांक	सड़क की लंबाई (मीटर में)	सड़क की चौड़ाई (मीटर में)
1.	200 मीटर तक.	9
2.	201 - 400	12
3.	401 - 600	18
4.	601 - 1000	24
5.	1000 . से ऊपर	30

परिपथ मार्ग की चौड़ाई 9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, लंबाई 400 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए

- एक तरफ खुली भूमि या खुले क्षेत्र वाली सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर हो सकती है और इसकी लंबाई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 50 एकड़ तक भूमि की थोक बिक्री के मामले में, पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र के साथ 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

➤ वाणिज्यिक/आधिकारिक/औद्योगिक के लिए:

तालिका 11

क्रमांक	सड़क की लंबाई (मीटर में)	सड़क की चौड़ाई (मीटर में)
1.	200 मीटर तक	12
2.	201 – 400	18
3.	401 – 1000	24
4.	1000 . से ऊपर	30

सड़क दृश्य, अग्रभाग और नया निर्माण।

आज तक कोई दिशानिर्देश और प्रावधान नहीं बनाए गए हैं जो अभी तक सड़कों और अग्रभागों से संबंधित हैं।

## LOCAL BODIES GUIDELINES

The principles and guide lines of the state government that would be applicable for different sorts of development and construction works are referenced in “Development Authority Building Construction and Development sub method – 2008; Revised 2016 (clause 1.1.1, 1.1.2 and 1.2.1), which is defined under the “Uttar Pradesh municipal planning and development act - 1973”.

### 1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated Area for new construction, Set Backs.

Provisions for construction indicated in “Development Authority Building Construction and Development sub method – 2008; Revised 2016 (clause 1.1.1, 1.1.2 and 1.2.1) defined under the “Uttar Pradesh municipal planning and development act - 1973”, are as follows:

- **Setbacks for residential buildings (Sub section – 3.4.1) with maximum allowed height is 12.5m (with stilt floor) and 10.5 m (without stilt floor):**

Table 1

Specification	Plot Area(Sq. Mt.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin
Row Housing	Up to 50	1.0	-	-	-
	50 to 100	1.5	1.5	-	-
	100 to 150	2.0	2.0	-	-
	150 to 300	3.0	3.0	-	-
Semi Detached	300 to 500	4.5	4.5	3.0	-
Detached	500 to 1000	6.0	6.0	3.0	1.5
	1000 to 1500	9.0	6.0	4.5	3.0
	1500 to 2000	9.0	6.0	6.0	6.0

- **Setbacks for Commercial/ Official buildings (Sub-section - 3.4.2 (I)), with height upto 15 m:**

Table 2

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side1	Side2
Up to 200	3.0	3.0	-	-
201 - 500	4.5	3.0	3.0	3.0
More than 501	6.0	3.0	3.0	3.0

- **Setbacks for Institutional/Community facilities except Educational Institutions (Sub-section - 3.4.2 (II)), with height upto 12.5 m:**

Table 3

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side1	side2
Up to 200	3.0	3.0	-	-
201 - 500	6.0	3.0	3.0	-
501 - 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 - 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 - 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
More than 30000	15.0	9.0	9.0	9.0

- Setbacks for Educational Institutions (Sub-section - 3.4.3), with maximum allowed height 10.5 m:

Table 4

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side1	side2
Up to 500	6.0	3.0	3.0	-
500 - 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 - 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 - 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
More than 30000	15.0	9.0	9.0	9.0

- Setbacks for building having height more than 12.5m (Sub-section - 3.4.5):

Table 5

Height of Building (m)	Setback left around the Building (m)
12.5 to 15	5.0
15 to 18	6.0
18 to 21	7.0
21 to 24	8.0
24 to 27	9.0
27 to 30	10.0
30 to 35	11.0
35 to 40	12.0
40 to 45	13.0
45 to 50	14.0
50 to 55	15.0
Above 55	16.0

- Ground Coverage and FAR/FSI for various types of landuse (Sub-section-3.5.1):

Table 6

Sr. No.	Land Use	Ground Coverage in %	F.A.R.
1.	Plotted residential		
A	Constructed/ Developed Area		
	• Upto 100 Sqm	75	2.00
	• 101-300 Sqm	65	1.75
	• 301-500 Sqm	55	1.50
	• 501-2000 Sqm	45	1.25

<b>B</b>	New /Undeveloped area		
	• Upto 100 Sqm	75	2.00
	• 101-300 Sqm	65	1.75
	• 301-500 Sqm	55	1.50
	• 501-2000 Sqm	45	1.25
<b>2.</b>	<b>Commercial</b>		
<b>A</b>	Constructed/ Developed Area:		
	• City Centre/ Central Business District	45	2.00
	• Sub-City Centre/ Sub-Central BusinessDistrict	50	1.75
	• Other Commercial zones	60	1.50
<b>B</b>	New /Undeveloped area		
	• City Centre/ Central Business District	40	3.00
	• Sub-City Centre/ Sub-Central BusinessDistrict	45	2.50
	• Other Commercial zones	50	1.75
<b>3.</b>	<b>Official</b>		
	• ConstructedArea	50	1.50
	• DevelopedArea	45	2.00
	• New/ Underdevelopedarea	40	2.50
<b>4.</b>	<b>Educational</b>		
<b>A</b>	Constructed / Developing area		
	• Primary or Nurseryschool	35	1.00
	• High school / Intermediate / Higher institutes	30	1.00
<b>B</b>	New / Undeveloped area		
	• Nursery school/ Primaryschool	40	1.20
	• High school /Intermediate	35	1.20
	• Degreecollege	35	1.50
	• Technical / Managementinstitute	35	2.00
<b>5.</b>	<b>Community and Institutional facilities</b>		
<b>A</b>	Constructed / Developed area	40	1.50
<b>B</b>	New / Underdeveloped area		
	• Community hall, marriage hall &Religious building	40	1.50
	• Other Institutes	30	2.00
<b>6.</b>	<b>Hotel</b>		
	• Constructed / Developedarea	40	2.00
	• New / Underdevelopedarea	40	2.50
<b>7.</b>	<b>Hospital</b>		
<b>A</b>	Constructed / Developed area		
	• Clinic/ Dispensary	35	1.50
	• 50 bedded Nursing home	35	1.50
	• Hospital having more than 50 beds	35	1.50
<b>B</b>	New / Underdeveloped area		
	• Clinic/ Dispensary	40	1.50

	• 50 bedded Nursing home	35	1.50
	• 50-100 bedded hospitals	30	2.00
	• Hospitals having more than 100 beds	30	2.50
<b>8.</b>	<b>Open area</b>		
	• Constructed / Developed area	2.5	0.025
	• New / underdeveloped area	2.5	0.025

➤ **Specifications for Basement Construction (Sub-section – 3.9.1, 3.9.2 & 3.9.3):**

- Basement shall not be used for residential purpose. And no toilet and kitchen are allowed to be constructed in basement.
- The basement is permissible below the inner courtyard and shaft.
- The construction of basement will be done only after evaluation of the structure. The neighboring property should be 2m away from the property where basement has to be constructed.
- The height between the floor and the beam bottom should be from 2.1m – 4.5m.

For different type of buildings the construction of basement should be accordingly:

**Table 7**

Sr. No.	Land area (in Sqm)	Type of Land-Use	Provision for Basement
1.	Upto 100	Residential/other non-commercial	Not Permissible
		Official and commercial	50 percent of ground coverage
2.	100 to 500	Residential	Same as ground coverage
		Non - Residential	Same as ground coverage
3.	500 to 1000	Residential	One basement till building's envelope line
		Non - Residential	Two basements till building's envelope line
4.	Above 1000	Residential/ Group Housing, Commercial, Official, Community facilities and other multistoried Buildings	Double basements are allowed for 1000-2000 Sqm. area of land
			Four basements are allowed in 2000-10000 Sqm. area of land.
			No restrictions of basements for land having more than 10000 Sqm area.
		Industrial	Two basements till building's envelope line

➤ **Specifications for Parking Facility (Sub-section – 3.10.1 & 3.10.3) :**

**A. The circulation area required for common carparking:**

**Table 8**

Type of Parking Area	Circulation Area (sqm)
Parking in open area	23
Covered parking	28
Parking in basement	32
Mechanised Parking	16
Two wheelers including bicycles	2

**B. The standard of parking arrangements for residential are as follows:**

**Table 9**

Type of Uses	Land area (in Sqm)	Car Parking for each residential unit
Plotted Residential	101 to 200	1.00
	201 to 300	2.00
	Above 300	1.00
Group housing	Less than 50	2.00 sqm area per Plot
	50 to 100	1.0 / Plot
	100 to 150	1.25 / Plot
	Above 150	1.50 / Plot

**2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies.**

In the “Development authority building construction and development sub method - 2008; Revised 2016, sub section – 3.1.9 (I) & (II), there is a demonstration about the ASI's act relevant for the monuments and heritage sites declared protected by the ASI. It is elaborates that, no construction and development is permitted in a periphery of 100m (prohibited area) from the protected boundary of the archaeological monument/sites. And, beyond that, up to 300m (regulated area), the approbation for construction /development would be obtained from the Department of ASI as per the rules of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act –1958.

**3. Open spaces.**

Standard deference to arrangement of open spaces during construction are briefed in the Development authority building construction and development sub method – 2008; Revised 2016”, sub section – 2.2.1 & 2.2.3, which are mentioned below:

- **Residential land-use:** 15 percent of layout plan is left as open space as Tot- Lot, park and playground.
- **Non Residential land-use:** 10 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and playground.
- **Landscape Plan:**
  - a. The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when the roadwidth is 9m or less than 12m.
  - b. The trees will be planted on both side along the road when road width is more than 12m.
  - c. The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.
- In commercial planning the 20 percent of open space will be reserved for greenery and 50 trees will be planted per hectare.
- In the areas like institutional area, public amenities, playground, 20 percent of open

area is reserved for greenery where 25 trees are planted per hectare.

#### 4. Mobility with the Prohibited and Regulated Area – Road Surfacing, Pedestrian Ways, non –motorised Transport etc.

Specifically for mobility in the prohibited and regulated areas of the monument, as such no provisions are made under any of the current state government acts and guidelines. Whereas, inside the Karchulipur village, traffic is primarily catered by personalized modes including – “Two wheelers, Bicycles, Tempos, Car, Jeeps, Taxi, Vans, Auto Rickshaws, Mini Bus, Truck, Meta door, Tractor and Trolley, Tongas, Thelas etc”. While, on the road subsisting close to the monument, mostly slow moving motorized and non-motorized conveyances can be seen.

Further, the other Road/ Street Development parameters specified under the Development authority building construction and development sub-method– 2008; Revised 2016”, sub section – 2.3.1 & 2.3.2:

##### ➤For Residential:

**Table 10**

Sr. No.	Length Of Road in Mts.	Width of Road in Mts.
1.	Upto 200 Mts.	9
2.	201 - 400	12
3.	401 - 600	18
4.	601 - 1000	24
5.	Above 1000	30

- Width of Loop Street should not be less than 9 Mts length not more than 400 Mts
- Width of Road with open land or open area on one side can be 7.5 Mts and it should not be more than 200 Mts in length.
- In case of bulk sale of lands with area upto 50 Acres, the width of access road should not be less than 24 Mts, and not less than 30 Mts with area more than 50 Acre.

##### ➤For Commercial/Official/ Industrial:

**Table 11**

Sr. No.	Length Of Road in Mts.	Width of Road in Mts.
1.	Upto 200 Mts.	12
2.	201 – 400	18
3.	401 – 1000	24
4.	Above 1000	30


#### 5. Streetscapes, Facades and New Construction.

Till date no guidelines and provisions are framed in yet pertinent to streetscapes and facades.

अनुलग्नक-VI  
ANNEXURE – VI

Survey Plan of One ancient brick temple built on the same plan as Bhitargaon temple,  
Karchulipur, District – Kanpur, Uttar Pradesh

भितरगांव मंदिर के समान योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, करचुलीपुर, जिला -  
कानपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना





अनुलग्नक  
ANNEXURES

अनुलग्नक-V  
ANNEXURE - V

स्मारक और इसके प्रतिवेश के छायाचित्र  
Images of the Monuments and the Area Surrounding the Monuments



Fig 1: View of tomb.  
चित्र 1: मकबरे का दृश्य



Fig 2: View of protected boundary wall  
चित्र 2: संरक्षित चारदीवारी का दृश्य



Fig 3: View from entrance gateway.

चित्र 3: प्रवेश द्वार से दृश्य।




Fig 4: View the front façade of the temple.

चित्र 4 : मंदिर के अग्र भाग का दृश्य।



Fig 5: View of well present in front of the temple.

चित्र 5: मंदिर के सामने स्थित कुएं का दृश्य।



Fig 6: View the access stone pathway.  
चित्र 6: मंदिर तक पहुंचने वाला पक्का मार्ग ।



Fig 7 : View in the north direction of the monument.  
चित्र 7 : स्मारक की उत्तर दिशा का दृश्य।



Fig 8: View in the south direction of the monument.  
चित्र 8: स्मारक की दक्षिण दिशा का दृश्य।



Fig 9: View in the east direction of the monument.

चित्र 9: स्मारक की पूर्व दिशा का दृश्य।



Fig 10: View in the west direction of the monument.

चित्र 10: स्मारक की पश्चिम दिशा का दृश्य।